

# जिला समाप्त करने के विरोध में शाहपुरा पूर्णतया बंद रहा

सब्जी मंडी, चाय की थड़ी, निजी विद्यालय सहित मेडिकल की दुकानें भी पूर्णतया बंद रही

शाहपुरा/भीलवाड़ा, (नि.सं.) अभिभाषण संस्था शाहपुरा के बैनर तले जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में संपूर्ण शाहपुरा पूर्णतया बंद सफल रहा। 28 दिसंबर 2024 को सरकार द्वारा शाहपुरा जिले को समाप्त करने के विरोध में 28 जनवरी 2025 को ब्लैक डे मनाया गया, जिसमें शाहपुरा कोरोना के बाद पूर्णतया ऐतिहासिक रूप से बंद सफल रहा। शाहपुरा में व्यापारियों, सब्जी मंडी, चाय की थड़ी, निजी विद्यालय सहित मेडिकल की दुकानें भी पूर्णतया बंद रही और जनता ने जिला बचाओ संघर्ष समिति को संपूर्ण शाहपुरा बंद कर समर्थन दिया। वहीं महलों के चौक में आम सभा में शाहपुरा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरवासी, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हजारों की संख्या में भाग लिया।

संघर्ष समिति के अध्यक्ष दुर्गालाल राजा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक शाहपुरा जिला नहीं बना जाता, तब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। संयोजक रामप्रसाद जाट ने 15 दिन में शाहपुरा को जिला का दर्जा वापस नहीं देने पर सरकार के विरुद्ध नेशनल हाईवे चक्का जाम कर महापड़ाव कर उग्र आंदोलन का ऐलान किया। आम सभा को किसान केसरी संघ के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश ओझा, भारत विकास परिषद के जयदेव जोशी, अधिवक्ता अनिल



शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित महापड़ाव में भारी जनसमूह उमड़ा।

शर्मा, नमन ओझा, सामाजिक कार्यकर्ता अर्पित कसेरा, अविनाश शर्मा, मुस्लिम समाज से एडवोकेट ताज मोहम्मद ने संबोधित किया। कवि दिनेश बंटी ने कविता के माध्यम से शाही से कौन बड़ा कविता सुनाई और उर्मिला कुमार ने देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों प्रस्तुत किया तथा आभार अभिभाषक संस्था के सहसचिव एडवोकेट कमलेश मुंडेतिया ने व्यक्त किया। संचालन एडवोकेट राम प्रसाद जाट ने किया। आम सभा के बाद जिला बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष दुर्गालाल

राजोरा के नेतृत्व में आमसभा में उपस्थित हजारों की संख्या में आमजन ने महलों के चौक से विशाल जन आक्रोश रैली में नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी शाहपुरा को शाहपुरा को वापस जिले का दर्जा देने की मांग का ज्ञापन सौंपा। जिला बचाओ संघर्ष समिति के महासचिव एवं अभिभाषक संस्था के सह सचिव कमलेश मुंडेतिया ने बताया कि शाहपुरा की जनता ने शाहपुरा जिला समाप्त होने पर 28 जनवरी को ब्लैक डे मनाया और आमसभा से पूर्व सभी अधिवक्ताओं

ने शहर के महलों के चौक से सदर बाजार होते हुए नए बस स्टैंड और कालिजारी गेट से फुलिया गेट तक शांतिपूर्ण वाहन रैली निकालकर लोगों को जिला रहने का महत्व बताया एवं शाम छह बजे घरों में ताली और ताली बजाकर तथा आठ बजे घरों की लाइट बंद कर ब्लैक आउट मनाने की अपील की। आम सभा महलों के चौक में विभिन्न गांव से आए लोगों, किसानों, ग्रामीणों ने शाहपुरा को वापस जिला बनाने की मांग के समर्थन में रैली निकाली। इस आमसभा में करीब 7 -

जनता ने जिला बचाओ संघर्ष समिति को संपूर्ण शाहपुरा बंद कर समर्थन दिया

8 हजार लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के शहर काजी सैयद शराफत अली, मौलाना निसार मोहम्मद, विश्व हिंदू परिषद के रामेश्वर लाल धाकड़, बजरंग दल के हनुमान धाकड़, संघर्ष समिति के रामेश्वर लाल सोलंकी, अभिभाषक संस्था के उपाध्यक्ष गजेंद्र प्रताप सिंह रणवाल, सचिव वीरेंद्र पथरिया, कोषाध्यक्ष तेजप्रकाश पाठक, पुस्तकालय अध्यक्ष दीपक मीणा, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोकचंद नौलखा, नरेंद्र रेगर, पीसीसी सदस्य संदीप जीनगर, दुर्गा बैरवा, रेगर समाज अध्यक्ष रतनलाल मुंडेतिया, विप्र समाज अध्यक्ष अंकुर ओझा, माहेश्वरी समाज के कृष्ण गोपाल मुंदटा, अग्रवाल समाज के शंकर अग्रवाल, जैन समाज अंबेडकर विचार मंच यातायात सलाहकार समिति प्रॉपटी डीपल्ट एसोसिएशन राजेंद्र बोहरा रामस्वरूप खटौक सहित कई मंचासैन रहे।

## चार हजार की रिश्वत लेते प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को जोधपुर जिले के पीपाड़ तहसील कार्यालय में एक प्राइवेट व्यक्ति को चार हजार की रिश्वत लिए जाने के आरोप में पकड़ा है। अब तक जानकारी में पता लगा कि वह तहसीलदार एवं रीडर के नाम से रिश्वत ले रहा था। परिवारी की एक रजिस्ट्री संशोधन के नाम पर यह रिश्वत ली गई।

ब्यूरो के ग्रामीण एएसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने बताया कि जोधपुर जिले के तहसील कार्यालय पीपाड़ सिटी में दलाल का चार हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी की जोधपुर शहर ईकाई को एक शिकायत इस आशय की मिली कि तहसील कार्यालय



आरोपी प्राइवेट व्यक्ति

पीपाड़ सिटी जिला जोधपुर में परिवारी की रजिस्ट्री में संशोधन करवाने की एवज में आरोपी द्वारा रीडर व तहसीलदार के नाम से चार हजार रूपए रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया

■ जानकारी में पता लगा कि वह तहसीलदार एवं रीडर के नाम से रिश्वत ले रहा था

जा रहा है, जिस पर डीआईजी हेरेंद्र महावर के सुपरविजन में एएसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ट्रेप अधिकारी उपाधीक्षक किशनसिंह चरण एवं निरीक्षक सुनिता कुमारी ने ट्रेप कार्रवाई करते हुए आरोपी जितेंद्र मुन्दियाडा उर्फ जिताराम को रीडर व तहसीलदार के नाम से चार हजार रूपए रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एएसपी राठौड़ ने बताया कि तहसीलदार पीपाड़ सिटी व उनके रीडर की संदिग्ध भूमिका की जांच की जाएगी।

## राजस्व मंडल में 22 कार्मिकों की पदोन्नति हादसे में पिता-पुत्री की मौत

अजमेर, (कासं)। राजस्व मंडल में आयोजित विभागीय पदोन्नति संमिति की अनुशंसा से 22 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है, जिनमें छह कार्मिक संस्थापन अधिकारी तथा 16 कार्मिक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए गए हैं। राजस्व मंडल निबंधक महावीर

प्रसाद ने बताया कि संस्थापन अधिकारी बने कार्मिकों में महेंद्र सिंह गौड़, निरंजन, विशान सिंह राठौड़, कनला चांदबानी, जगतनारायण पारीक व राजेंद्र चौधरी शामिल हैं। इसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत कार्मिकों में करम सिंह चौहान, ललिता साहू, दीपेंद्र शर्मा, विनोद प्रकाश

मालाकार, राधेश्याम शर्मा, रामेश्वर लाल जाट, निशा गुप्ता, दयानंद कुमार, मधुसूदन भाटी, मुकेश कुमार पांडेय, नवनीत कुमार माहेश्वरी, विक्रम भारती, अर्जुन यादव, भैरूराम वर्मा, अजय कुमार व टोकमचंद दीवाकत शामिल हैं। सभी पदोन्नत कार्मिकों का पदस्थापन भी कर दिया गया है।

गुंदोज चौकी प्रभारी चंपालाल

प्राजापत ने बताया कि हादसा पाली तेज रफ्तार ट्रेला अनियंत्रित होकर बाइक पर गिर गया। हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्री की कुचलने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों के शव हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाये गये हैं।

पहचान गुड़ा एंटीला थाने के किरवा गांव निवासी 45 साल के मंगलाल पुत्र हिमताराम मोणा और उनकी बेटी ललिता के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि दोनों पिता-पुत्री मजदूरी का काम करते थे। काम खत्म होने पर दोनों बाइक से घर आ रहे थे। इस दौरान हादसे का शिकार हो गए।

## अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

अजमेर, (कासं)। पुलिस थाना नसीराबाद सदर ने मादक पदार्थों की तस्करों के खिलाफ राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा बुलाई जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नसीराबाद बाइपास के पास एक कार से 954 ग्राम अफीम जब्त कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस उप महानिरीक्षक अजमेर रेंज ओमप्रकाश के निर्देशानुसार और जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। थाना अधिकारी अशोक बिशु के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर मादक पदार्थों की तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पुलिस ने नसीराबाद बाइपास सरहद दिवाड़ी पर एक कार को रोककर तलाशी ली।

कार से 954 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई। इस दौरान कार चालक परविंद सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह और खलासी सीट पर बैठे जगरूप सिंह पुत्र दिलीप सिंह दोनों निवासी तलवंडी साबो, जिला बटिंडा, पंजाब को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। थाना अधिकारी अशोक बिशु ने बताया कि मामले में तस्करों के नेटवर्क को खंगलने के लिए गहन अनुसंधान किया जा रहा है।

## टैकरों से केमिकल चोरी करने वाले चालक व खरीददार गिरफ्तार

पावटा, (नि.सं.)। टैकरों से केमिकल चोरी करने वाले चालकों व खरीददारों के खिलाफ भाबर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने एक टैकर चालक सहित माल खरीददार एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया है। वहीं दो टैकर वाहन, केमिकल चोरी करने में प्रयुक्त जनरेटर मय टैंपो जब्त किये। जिला पुलिस अधीक्षक कोटपुतली

■ दो टैकर वाहन, केमिकल चोरी करने में प्रयुक्त जनरेटर मय टैंपो जब्त

■ टैकरों से निकाले गए केमिकल में उतनी ही मात्रा में पानी मिलाकर कंपनी को धोखा दे रहे थे



पुलिस ने केमिकल चोरी के मामले में कार्रवाई की।

मावलजी जिला उदयपुर व खरीददार स्थानीय युवक युसुफ अली उर्फ बबलू पुत्र अब्दुल करीम उर्फ कालू निवासी सब्जी मंडी के पीछे गांधीनगर तन केरली पुलिस थाना भाबर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर शिपा

राजावत ने बताया कि 25 जनवरी को एनएच 48 पर टैकरों से केमिकल चोरी होने की सूचना पर टैकर चालक गोविंद सिंह को मय टैकर पकड़ लिया। वहीं दूसरा टैकर चालक बालूसिंह फरार हो गया। दोनों टैकर उदयपुर से केमिकल भर पंजाब व हरिद्वार जा रहे थे एवं चालक स्थानीय युवक युसुफ अली उर्फ

बबलू से मिलकर रास्ते में तरल केमिकल निकालते समय चोरी के उपकरणों सहित पुलिस द्वारा पकड़े गए। यह शक्ति चोर टैकरों से निकाले गए केमिकल में उतनी ही मात्रा में पानी मिलाकर कंपनी को धोखा दे रहे थे। फरार मुल्जिम बालू सिंह की तलाश जारी है।

## लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में जांच शुरू

जोधपुर, (कासं)। शहर के बहुचर्चित लवली कंडारा एनकाउंटर केस में अब सीबीआई जांच आरंभ हो गई है। मंगलवार को सीबीआई की टीम

■ सीबीआई टीम जोधपुर पहुंची और जांच शुरू की

■ अलग-अलग स्थानों पर टीम की तरफ से पड़ताल किए जाने के साथ बयान लेने के साथ सबूत जुटाए जा रहे हैं

जोधपुर पहुंची और जानकारी जुटानी शुरू की। नौ जनवरी को सीबीआई की तरफ से तत्कालीन पुलिस अधिकारी एवं जवानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम जोधपुर पहुंची। अलग-अलग स्थानों पर टीम की तरफ से पड़ताल किए जाने के साथ बयान लेने के साथ सबूत जुटा रही है। समाचार पत्रों और टेलीविजन पर उस वक्त चले कवरेज से भी कड़ी से कड़ी से जोड़ रही है। पुलिस ने मामले को एनकाउंटर करार दिया था। दिल्ली स्पेशल पुलिस के डिप्टी एएसपी मोहनर सिंह के निर्देशन में यह जांच आरंभ की गई है। प्रकरण के अनुसार इसमें रातानाडा थाने के तत्कालीन एसएचओ लीलाराम, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, किशन सिंह, विश्वास और अंकित को आरोपी बनाया गया है। जानकारी के अनुसार लवली कंडारा के परिजनों और रिश्तेदारों ने एनकाउंटर केस में सीबीआई जांच की मांग की थी। पुलिस पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया था।

युवक की मौत : गंगापुर सिटी के समीपवर्ती विनेगा गांव में टेंट हाउस की दुकान में काम करने वाले युवक की करंट से झुलसने से मौत हो गई। युवक दो साल से विनेगा गांव स्थित टेंट हाउस पर काम कर रहा था। टेंट लगाते समय वह हाईटेशन लाइन की चपेट में आ गया। हादसे के बाद लवकुश मोणा (22) को साथ के युवक गंगापुर सिटी के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मौत घोषित कर दिया।

**कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर**  
 क्रमांक - 13233154 दिनांक - 27/01/2025  
**ई-निविदा सूचना संख्या - मुख्यालय (पुल)/40/2024-25**  
 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्विमेंट प्रक्रिया से निम्न कार्य हेतु (सिदिदा पर आपूर्ति के तहत) ऑनलाईन बिड आमंत्रित की जाती है। इन कार्यों की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा शर्तों आदि का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>, [www.jodhpurjda.org](http://www.jodhpurjda.org), [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) पर देखा जा सकता है।  
**NIB CODE :- JOD2425A0156**  
**Tender ID/UBN No. :- JOD2425WS0B00340**  
 एन.सं.एच./टी/24/10910 अधिशाही अभियन्ता (मुख्यालय)

**कार्यालय अधिशाही अभियन्ता मुरलीपुत्र जोन नगर निगम, गेट्टर जयपुर**  
 मुख्यालय, नसीरवा, जयपुर दिनांक - 27/01/2025  
**ई-निविदा सूचना संख्या 26-35/2024-25**  
 केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों में पंजीकृत "एए" व "ए" श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम जयपुर के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से विभिन्न विकास कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्यों की अनुमानित लागत, टेन्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेन्डर शर्तों आदि सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार के ई-प्रोक्विमेंट पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in>, [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) तथा नगर निगम गेट्टर, जयपुर की वेबसाइट [www.jajpurmc.org](http://www.jajpurmc.org) पर देखी व Download की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक ई-प्रोक्विमेंट पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड की जा सकती है।  
**UBN No. JMC2425WS0B01182 TO 01193**  
 अधिशाही अभियन्ता (मुरलीपुत्र जोन), नगर विकास गेट्टर, जयपुर  
 एन.सं.एच./टी/24/10918

**कार्यालय नगर निगम, अजमेर**  
 पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राजस्थान)  
 दूरभाष-0145-2429653, फ़ैक्स-0145-2433813, Email - ajmer@rajasthan.gov.in, ajmer@rajasthan.gov.in  
 Website - [www.ajmer.nagar.nic.in](http://www.ajmer.nagar.nic.in)  
 क्रमांक :- MEW/2024-25/4139 दिनांक :- 24.01.2025  
**निविदा सूचना सं 48/2024-25**  
 नगर निगम अजमेर द्वारा विभिन्न अभियांत्रिकी विभागों तथा नगर निगम अजमेर में कार्यवाही के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा आमंत्रित करने के लिए निविदा आमंत्रित करने की तिथि 31.01.2025 को दोपहर 3.00 बजे तक प्राप्त की जाकर दिनांक 31.01.2025 को दोपहर 3.30 बजे तक उपस्थित संवेदकों के समक्ष खोली जायेगी। कार्यों की विस्तृत जानकारी वेब पोर्टल [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।  
**NIB No Code :- ANN2425S0B003000**  
**UBN No. :- ANN2425S0B003000**  
 एन.सं.एच./टी/24/10942  
 अधिशाही अभियन्ता, नगर निगम अजमेर

**Rajasthan State Council of Educational Research and Training**  
 111, SAHELI MARG, UDAIPUR (Raj.) Pin 313001, Telephone: 0294-2415171  
 E-mail: [director.rcser@rajasthan.gov.in](mailto:director.rcser@rajasthan.gov.in)  
 No. F-RSCERT-UDR/Acc/2024-25/632 Date :- 28/01/2025  
**NOTICE INVITING E-BID FOR HIRING AN ASSESSMENT AGENCY IN RSCERT, UDAIPUR**  
**(NIB No. 9/2024-25) NIB Code SCE2425A0009**  
 Single Stage Two-envelopes unconditional online Bids are invited on behalf of the Governor of Rajasthan for Hiring an assessment Agency in Rajasthan State Council of Educational Research and Training, Udaipur. The estimated cost of the required services is Rs. 1.22 crore (in words one crore twenty two lakh only). All interested bidders should submit the required documents and DD/Banker's cheque until 17 February 2025, 1:00 PM. All the terms and conditions for participating in the bid can be seen and downloaded from <https://sppp.rajasthan.gov.in>, <https://eproc.rajasthan.gov.in>.  
**UBN: SCE2425SLOB00011** राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर  
 Raj.Samwad/C/24/10957

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये में)	राजकोष लेखा मद
1	निविदा देवसाहेब ऑनलाईन डाउनलोड करने की दिनांक व समय	₹. 2000/-	8858-00-102-161-01 (सिविल विभाग)
2	निविदा देवसाहेब ऑनलाईन अपलोड करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा के संबंध में जारी दिशा-निदेश एवं शर्तों की शर्त संख्या 6.11 के अनुसार ₹. 10,00,000/- से लेकर ₹. 20,00,000/- तक (अनुमानित गारण्टी राशि के अनुसार)	0039-00-501-01-00 (आवेदन शुल्क)
3	अमानत राशि	अनुमानित गारण्टी राशि की 2 प्रतिशत	8443-00-103-00-00 (प्रतिभूति जमा)

ई-प्रोक पोर्टल से प्रक्रिया शुरू, निविदा शुरू एवं अमानत राशि का एक चालान जमा करने पर लेखा मद 0075-00-800-52-01 (निविदा प्रपत्र शुल्क) में राशि रु. एक सयथा जमा करवाकर आवेदन शुल्क का चालान शुल्क से राजकोष में मद 0039-00-50-00-00 में भेजा जा सकता है।  
 4. अनुमानित गारण्टी राशि से कम राशि की निविदा प्राप्त होने पर स्वीकृति के संबंध में सक्षम स्टार से निर्णय लिया जायेगा। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने के समस्त अधिकार आबकारी आयुक्त को होंगे।  
 5. स्वीकृत निविदादाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि एवं वार्षिक गारण्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस ई-निविदा के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों जो विभागीय वेबसाइट <https://excise.rajasthan.gov.in> एवं [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है के अनुसार जमा करनी होगी।  
 6. निर्धारित समय में वार्षिक राशिओं तथा धरोहर राशि अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न करने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जबरान की जायेगी।  
 7. मंदिरा दुकानों के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-निविदा में भाग ले सकते, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2024-25 व भारतीय सिविद अधिनियम के तहत अनुबंध करने की योग्यता रखते हैं। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, आबकारी नीति वर्ष 2024-25 तथा प्रास्य अनुज्ञापत्र संधिदि <https://excise.rajasthan.gov.in> एवं [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।  
 8. ई-निविदा के संबंध में अग्र प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2024-25 एवं राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेंगे।  
 9. ई-निविदा के संबंध में 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेंगे।  
**UBN-EXC2425GLOB00172**  
 (शिवमसाद नकते)  
**DIPIR/C/ /2025 आबकारी आयुक्त, राजस्थान**